




क्रमांक / ...149... / विद्योचित / 2026

भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2026

:: विज्ञप्ति ::


म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 789/221/2022/20-3 दिनांक 23.12.2024 के अनुपालन में लिये गये निर्णयानुसार शिक्षण सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं एवं 2027-28 से कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों को अंग्रेजी Basic एवं अंग्रेजी Standard का विकल्प दिया जायेगा।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 / 06 / 2026

पृ. क्रमांक / ...150... / विद्योचित / 2026
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
3. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव/उपसचिव मा०शि०म० म०प्र०, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
5. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म.प्र. भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
8. संचालक मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आंचलिक अधिकारी, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इंदौर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
12. समस्त समन्वयक संस्थायें एवं समस्त संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल और वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
14. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
16. समस्त संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
17. समस्त सहायक सचिव, परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
18. सहायक सचिव/समन्वय/गोपनीय/डाटा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल